Motation

4
7200
18-12-12

न्यायालय उपजिलाधिकारी-सदर महराजगंज

वाद सं० - 27/012

डा० ध्रुवनरायन राय प्रबंधक रामेश्वर राय गंगाराम महिला महाविद्यालय /
बनाम
ध्रुवनरायन आदि

अन्तर्गत धारा-143, ज०वि० अधिनियम, बाबत-मौजा पिपरदेउरा, टप्पा चाहरा परगना-हवेली, तहसील सदर जनपद-महराजगंज

प्रतिलिपि-आदेश-दिनांक-15-12-2012

श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव
142
17-12-12
7200
325
18-12-12
18-12-12

आदेश की छाया प्रतिलिपि संलग्न है

P.T.O

प्रतिलिपि

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर महराजगंज ।

वाद संख्या:- 97/012 अर्न्तगत धारा-143 ज0वि0अधिनियम
मौजा-पिपरदेउरा तप्पा-कटहरा परगना-हवेली
तहसील-सदर जनपद-महराजगंज ।

डा0 धुवनरायन राय प्रबंधक रामरेखा राय गंगाराय महिला महाविद्यालय

बनाम

धुवनरायन आदि

आदेश

प्रश्नगत कार्यवाही डा0 धुवनरायन राय प्रबंधक रामरेखा राय गंगाराय महिला महाविद्यालय महराजगंज द्वारा धारा-143 ज0वि0अधिनियम के अर्न्तगत प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रारम्भ किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया कि विषयगत आराजी नम्बर343 रकबा-0.255हे0 के वह संक्रमणीय भूमिधर एवं काबिज दखिल है। वादग्रस्त भूमि पर वादी द्वारा महाविद्यालय के भवन इत्यादि का निर्माण कर चारो तरफ से बाउन्ड्रीवाल बनाकर उसका उपयोग आबादी के तौर पर विगत दो वर्षो से किया जा रहा है। वादी द्वारा विषयगत भूखण्ड की जांचकराकर उसे गैर कृषि (आबादी) घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर तहसीलदार सदर से स्थलीय जांच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार सदर द्वारा इसकी जांच हल्का लेखपाल एवं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से कराते हुये उनकी स्थलीय जांच आख्या को अपनी संस्तुति सहित दिनांक 15.12.12 को मेरे न्यायालय में प्रेषित किया गया। स्थलीय जांच आख्या में इस बात का उल्लेख है कि मौजा-पिपरदेउरा स्थित आ0नं0 343 रकबा-0.255हे0 पर रामरेखा राय गंगाराय महिला महाविद्यालय चल रहा है, मौके पर विद्यालय की बिल्डिंग बनी हुई है, जिससे उक्त भूमि अकृषिक है।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली में संलग्न अभिलेखीय साक्ष्यों तथा तहसीलदार सदर की स्थलीय जांच आख्या का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि विषयगत भूखण्ड संख्या 343 रकबा-0.255हे0 वादी के नाम अभिलेख में अंकित है, जिस पर रामरेखा राय गंगाराय महिला महाविद्यालय का भवन बन चुका है तथा चारो तरफ से बाउन्ड्रीवाल से घिरा हुआ है। चूंकी अंकित खातेदार द्वारा ही उक्त आराजी को अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है, इसलिये धारा-143 ज0वि0अधिनियम के प्राविधानों के अर्न्तगत उक्त भूखण्ड को गैर कृषि प्रयोजन भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः मौजा-पिपरदेउरा तप्पा-कटहरा परगना-हवेली तहसील-सदर जनपद-महराजगंज स्थित आ0नं0 343 रकबा-0.255हे0 को गैर कृषि प्रयोजन भूमि घोषित किया जाता है। परवाना जारी किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

(ऋ षिकेश द्विवेदी)
उप जिलाधिकारी, सदर
महराजगंज।

दिनांक:-15.12.2012

सत्यापित
18.12.2012
(पेशकार)
उप जिलाधिकारी
सदर-महराजगंज

प्रतिलिपि कर्ता ....
रचना कर्ता ....